दिनांक : .१२.२०१९

प्रति,
मा. प्रधानमंत्री,
भारत सरकार, नई देहली ११०००१

विषय : महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार रोकने हेतु कठोर विधि बनाना,
महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करना और महिलाओं के संदर्भ में घिनौने
ट्विट करनेवाले चलचित्र निर्माता डैनियल श्रवण के विरुद्ध कार्रवाई करने के संदर्भ में ....

महोदय,

हाल ही में हैदराबाद के शमसाबाद (जनपद रंगारेड्डी, तेलंगना राज्य) में संपूर्ण देश का सिर नीचे झुकानेवाली घटना हुई । एक डॉक्टर युवति के दोपहिया वाहन का पंक्चर निकालने के बहाने ट्रकचालक, क्लीनर और अन्य २ आरोपियों ने रात में उसका अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और केवल इतना ही नहीं, अपितु उन्होंने उसे जिंदा जलाकर उसकी निर्मम हत्या भी की । इन नराधमों ने घटनास्थल से ३० कि.मी. की दूरीपर एक पुल के नीचे उसके शवपर पेट्रोल छिडककर उसे जला दिया । यह घटना अत्यंत सुन्न करनेवाली और इसकी चाहे कितनी भी निंदा की जाए, तब भी वह अल्प ही है । इस प्रकरण में पुलिस विभाग ने मोहम्मद पाशा और अन्य ३ अपराधियों को बंदी बनाया । उसके पश्चात जब पुलिसकर्मी इन आरोपियों को घटनास्थल ले गए, तब उन आरोपियों ने पुलिसकर्मियों से उनकी बंदूक छिनने का प्रयास कर वहां से भाग जाने का प्रयास किया । इस समय पुलिसकर्मी और आरोपियों में हुई मुठभेड में ये चारों आरोपी मार दिए गए ।

इस प्रकरण के कारण देश की महिलाओं की सुरक्षितता का प्रश्न पुनः एक बार चर्चा में आया है । इस प्रकरण के कारण तेलंगनासहित देशभर में क्षोभ की लहर दौड पडी और देशभर इस घटना के संदर्भ में प्रतिक्रियाएं व्यक्त हो रही हैं । विगत कुछ वर्षों से भारत में बलात्कार और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों की घटनाएं सामान्य बनती जा रही हैं । सर्वदलीय राज्यकर्ता, सर्वदलीय सरकारें और जनप्रतिनिधि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार रोकने में असफल सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं ।

*** अतः इस संदर्भ में हम कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ...**

अ. तेलंगना में घटित कुछ घटनाएं:

१. राष्ट्रीय आपराधिक प्रविष्टि विभाग (नैशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो) द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे में वर्ष २०१७ में तेलंगना राज्य में १८ से ३० वर्ष आयुसमूह की महिलाओं के संदर्भ में सर्वाधिक अपराध किए जाने की बात कही गई है । इस आयुसमूह से संबंधित महिलाओं के साथ बलात्कार के ९१ प्रतिशत प्रकरण सामने आए हैं और यह औसत देशभर की ऐसी अन्य घटनाओं में सर्वाधिक है ।

२. रंगारेड्डी जनपद में ही ४.११.२०१९ के तहसील कार्यालय में भूमि के संदर्भ में विवाद होने से के. सुरेश नामक भूमि क्रय-विक्रय बिचौलिए ने वहां की महिला तहसीलदार विजया रेड्डीपर पेट्रोल छिडककर उसे जिंदा जलाया । उसमें विजया रेड्डी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई ।

३. रंगारेड्डी जनपद में ही एक प्रधानाध्यापक ने १५ वर्ष की एक छात्रा के साथ बलात्कार किया । इसके साथ ही आसिफाबाद जनपद में एक महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की गई थी । वारंगल में एक १९ वर्ष की युवती की उसके प्रेमी ने बलात्कार कर हत्या की । यह सूची न रुकनेवाली है ।

आ. देशभर की महिलाओं की सुरक्षितता के संदर्भ में :

१. तेलंगना की घटना ताजा होते समय ही १ दिसंबर को रांची के एक महाविद्यालयीन छात्रा के साथ १२ लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया । इस प्रकरण में पुलिस विभाग ने १२ लोगों को बंदी बनाया है ।

२. वर्ष २०१२ में देहली में निर्भया प्रकरण के पश्चात देशभर में दबाव बननेपर तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कठोर विधि तो बनाई; परंतु उससे भी महिलाओं के साथ होनेवाले अत्याचार नहीं घटे । इसके विपरीत प्रत्येक राज्य में ऐसी घटनाओं की संख्या बढती ही जा रही है । राष्ट्रीय आपराधिक प्रविष्टि विभाग द्वारा दिए गए आंकडों के अनुसार वर्ष २०१२ से बलात्कार के प्रविष्ट अपराधों की संख्या प्रतिवर्ष बढ ही रही है ।

३. देश में महिलाओं से संबंधित अपराधों में वर्ष २०१७ में ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वर्ष २०१७ में संपूर्ण देश में महिलाओं के साथ अत्याचारों से संबंधित ३ लाख ५९ सहस्र ८४९ अपराध प्रविष्ट किए गए थे । वर्ष २०१६ में यह संख्या ३ लाख ३८ सहस्र ९५४ इतनी थी । केवल महाराष्ट्रतक ही सीमित विचार किया जाए, तो राज्य में प्रतिदिन १२ बलात्कार हो रहे हैं और प्रतिदिन शीलभंग की ३४ और अपहरण की २० घटनाएं हो रही हैं ।

४. महिला एवं बालकल्याण मंत्रालय द्वारा संसद में दी गई जानकारी से यह स्पष्ट हुआ है कि बलात्कार पीडितों को आर्थिक सहायता देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा गठित 'निर्भया निधि'से राज्य सरकारों की दिए गए पैसों का पर्याप्त उपयोग ही नहीं किया गया है । साथ ही महाराष्ट्र जैसे राज्य में इसके लिए आवंटित १४ सहस्र से भी अधिक धनराशि बिनाउपयोग पडी हुई है । महिलाओं की सहायता के लिए आवंटित निधि का उनके लिए उपयोग ही नहीं किया जाना, तो प्रशासन की संवेदनशीलता की परिसीमा ही कहनी पडेगी ।

५. आजकल न्यायिक प्रक्रिया वर्षोंतक लंबी चलने के कारण उस अपराध की गंभीरता अल्प होती जाती है । मध्य के समय में प्रतिभूति प्राप्त करने के प्रयास होते हैं और दंड हुआ भी, तो दया का आवेदन प्रविष्ट किया जा सकता है । वर्ष २०१२ में घटित निर्भया प्रकरण में दिए गए दंड का क्रियान्वयन अभीतक नहीं हुआ है । उसके पश्चात घटित घटनाओं को 'निर्भया २', 'निर्भया ३' आदि नाम देकर समाज में जागृति लाई जा रही है; परंतु क्या हमें ऐसे और 'निर्भया' प्रकरण होने देने हैं ? दंड मिलने के संदर्भ में यदि ऐसी स्थिति हो, तो पीडिता से न्याय होना तो दूर ही; परंतु इसके विपरीत आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में दंड का भय कैसे बैठेगा ? इसके विपरीत अन्य देशों में दंड का क्रियान्वयन अत्यंत कठोरता से और अल्पावधि में ही किया जाता है, उदा.

अ. उत्तर कोरिया : बलात्कारियों को सभी के सामने गोलियां मारी जाती हैं ।

आ. संयुक्त अरब अमिरात (युएई) : ७ दिनों में फांसी का दंड

इ. सौदी अरेबिया : सार्वजनिक स्थानपर शिरच्छेद, फांसी अथवा गुप्तांग काटना

ई. अफगाणिस्तान : सार्वजनिक स्थानोंपर अपराधी के सिर में गोलियां दागकर उसे मार डालना

उ. इजिप्त : ७ दिनों में फांसीपर चढाना

ऊ. पोलैंड : सुअरों की सहायता से आरोपी को मार डालना और आरोपी का नपुंसक बनाना

ए. इंडोनेशिया : आरोपियों को नपुंसक बनाना

इ. चित्रपट निर्माता डैनियल श्रवण द्वारा दिए गए क्षोभनीय वक्तव्य के संदर्भ में ...

भाग्यनगर में एक डॉक्टर युवती के साथ बलात्कार कर उसे जिंदा जलाए जाने की विभिषिक घटना से संपूर्ण देश सहम गया है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के संदर्भ में भाग्यनगर के चलचित्र निर्माता डैनियल श्रवण ने ट्विटरपर अत्यंत क्षोभनीय वक्तव्य दिया है । डैनियल श्रवण ने ट्विटरपर दिए गए अत्यंत क्षोभनीय वक्तव्य में कहा है, ''प्रत्येक महिला को १०० क्रमांकपर दूरभाष करने के स्थानपर कोई भी महिला पुरुषों की लैंगिक वासना को अस्वीकार नहीं कर सकती । अतः १८ वर्ष से अधिक लडकियों को अपने साथ गर्भनिरोधक (कंडोम) और 'डेंटल डैम्स (दातों के संरक्षण के लिए) रखना चाहिए । कोई आपके साथ बलात्कार करनेवाला है, तो आप कंडोम और डेंटल डैम्स का उपयोग करें; क्योंकि उससे बलात्कारी की लैंगिक वासना भी पूर्ण होगी और वह आपकी हत्या भी नहीं करेगा ।''

अ. महिलाओं के साथ हो रही अत्याचार की बढती हुई घटनाओं को देखते हुए डैनियल श्रवण जैसे लोगों द्वारा दिए गए वक्तव्य के कारण अपराधियों को अपराध करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है ।

आ. महिलाओं की सुरक्षा हेतु तथा उनके साथ अत्याचार करनेवालों की इच्छा रखनेवालों में भय उत्पन्न हो; इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें कठोर विधियां बनाती हैं, साथ ही उन्हें अत्याचारियों से संरक्षण मिलने हेतु विविध उपाय करती है । ऐसी स्थिति में डैनियल श्रवण ने भारतीय संविधान में अंतर्भूत विधियां और उनके अंतर्गत दिए जानेवाले दंड को भी नीचा दिखाकर एक प्रकार से संविधान के साथ ही न्यायप्रणाली, प्रशासन और शासन का अनादर ही किया है ।

इ. भारतीय संस्कृति में महिला को देवीसमान और मातासमान मानकर उसका पूजन किया गया है । ऐसी स्थिति में वासनांध विकृति से ग्रस्त डैनियल जैसे व्यक्ति द्वारा ऐसा कहा जाना हिन्दू धर्म का, साथ ही समस्त नारीशक्ति को अपमानित करने जैसा ही है ।

६. कोई भी समाज दंड का भय देखकर ही दुष्कृत्य करने का साहस रखता है । छत्रपति शिवाजी महाराज के हिन्दवी स्वराज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार करनेवालें को 'चौरंगा' (दोनों हाथ और दोनों पैर तोड देना) नामक कठोर दंड दिया जाता था । इस दंड के पश्चात कोई महिलाओं के साथ अत्याचार करनेपर विचार भी नहीं कर पाता था । बलात्कार करने से पहले ही उससे कितना कठोर दंड मिल सकता है, यह ध्यान में आएगा, तो बलात्कार की घटनाओं की संख्या में गिरावट आने की संभावना है, अन्यथा आज के समय में भारत में प्रति १८ मिनट पश्चात बलात्कार की एक घटना हो रही है । इस स्थिति में परिवर्तन लाने हेतु कठोर दंड ही एकमात्र विकल्प है ।

७. बलात्कार के प्रकरणों में पुलिस विभाग को अपना दायित्व निभाना चाहिए; परंतु कुछ प्रकरणों में ऐसा होते हुए दिखाई नहीं देता । इस प्रकरण में पुलिस अधिकारियों ने 'मृत युवती ने पुलिस विभाग को दूरभाष करने के स्थानपर अपनी बहन को क्यों दूरभाष किया ? यदि किया होता, तो वह बच सकती थी' आदि अत्यंत आपत्तिजनक वक्तव्य दिए । साथ ही इस प्रकरण के चारों आरोपियों को पुलिस हिरासत न मिलकर न्यायालयीन हिरासत मिली । इससे पुलिस प्रशासन ने न्यायालय में आरोपियों के प्रति कितनी सक्षमता से और जोरदार पक्ष रखा, पुलिस हिरासत की मांग की आदि सूत्र विचार करनेयोग्य हैं । केवल इतना ही नहीं, अपितु न्यायालयीन हिरासत में इन नृशंस लोगों को मटनकरी का भोजन दिया गया । ये सभी बातें इस प्रकरण में पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता को दर्शाते हैं ।

*** इस संदर्भ में हम निम्नांकित मांगें कर रहे हैं ...**

१. महिला अत्याचार के प्रकरणों को चलाने के लिए तथा महिलाओं के साथ अत्याचार से संबंधित आरोपियों की खोज करने के लिए केंद्र और राज्य स्तरपर पुलिस प्रशासन की विशेष शाखा का गठन किया जाए ।

२. महिलाओं के साथ अत्याचार के अभियोग शीघ्रगति न्यायालय में चलाकर दोषियों के विरुद्ध दंड का तत्काल क्रियान्वयन हो ।

३. विविध स्थानोंपर महिलाओं को स्वरक्षा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उदा. विद्यालय-महाविद्यालय, साथ ही इस संदर्भ में महिलाओं में जागृति लाने हेतु व्याख्यान, विचारगोष्ठियां आदि उपक्रम चलाए जाएं ।

४. सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि व्यक्ति को अपराधी बनने से रोकने के लिए बचपन से ही नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए । यदि व्यक्ति ही नीतिमान होगा, तो वह अपराध कभी नहीं करेगा । अतः प्रत्येक विद्यालय में नैतिक मूल्यों की

शिक्षा के अंतर्गत आदर्श व्यक्ति बनने के लिए क्या करना चाहिए, अपराध के दुष्परिणाम, अपराध के व्यक्ति-परिवार-समाजपर होनेवाले परिणाम आदि के संदर्भ में समाज को शिक्षित किया जाना चाहिए ।

५. उक्त सूत्रों को अंतर्भूत करते हुए महिलाओं के साथ होनेवाले अत्याचारों को रोकने हेतु केंद्र सरकार तत्काल कठोर विधि बनाकर उसे देशभर में शीघ्रता से लागू करे ।

६. बलात्कार जैसे संवेदनशील प्रकरणों में असंवेदनशीलता दिखानेवाले, आरोपियों के साथ सहानुभूति दिखानेवाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए ।

७. डैनियल श्रवण ने महिलाओं के संदर्भ में जो अपशब्द कहे हैं, उससे उन्होंने महिलाओं की अवहेलना और देश की समस्त महिलावर्ग को अपमानित किया है । अतः डैनियल श्रवण के विरुद्ध **Indecent Representation Of Women Act** तथा अन्य आपराधिक धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी प्रविष्ट कर उन्हें कठोर दंड दिया जाए ।

आपके विश्वासी

संपर्क :